Grievances Removal Mechanism

प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु जनता से जुड़े हुये विभागों एवं निकायों में शिकायतों, अभाव अभियोगों के पजींयन एवं निराकरण करवाये जाने के दृष्टिकोण से विभाग द्वारा राजस्थान सम्पर्क नाम से वेब पोर्टल विकसित किया गया है। जिस पर अभाव अभियोगों को परिवादी द्वारा सीधे ही दर्ज करवाये जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त परिवादी अपने परिवाद ई–मेल, दूरभाष एवं पत्र द्वारा भी दर्ज करवा सकते हैं। परिवादी का परिवाद तत्काल ही संबंधित विभाग को ऑनलाईन अग्रेषित किया जाता है। संबंधित विभाग द्वारा परिवाद पर की गई कार्यवाही/निस्तारण की स्थिति ऑनलाईन अंकित कर दी जाती है। जिसको परिवादी भी स्वयं वेब पोर्टल पर देख सकता है।

राजस्थान सम्पर्क पर ऑन–लाईन कम्प्यूट्राईजेशन के माध्यम से विभिन्न विभागों को जोड़ कर जन अभियोग निराकरण विभाग एवं सेन्टर पर सीधे ही प्राप्त हो रहे आम जनता के अभाव अभियोगों का निराकरण त्वरित गति से करवाये जाने की कार्यवाही की जाती है।